

संख्या 402/92/2006-एमसी (2008 का 34)

भारत सरकार/वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली दिनांक 30rd जुलाई 2008

प्रेस विज्ञप्ति

आयकर विवरणी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा <http://incometaxindiaefiling.gov.in> वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर विवरणी दाखिल करने के कई फायदे हैं - दाखिल करने की लागत कम है, दाखिल करने में आसानी है, इसे कहीं से भी कभी भी दाखिल किया जा सकता है, कर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, दाखिल विवरणी अधिक सटीक है, कर रिकॉर्ड खोने का कोई डर नहीं है, रिटर्न को तेजी से संसाधित किया जा सकता है और रिफंड तेजी से और अधिक सटीक रूप से जारी किया जा सकता है।

इस वर्ष 29 जुलाई तक 10 लाख से अधिक ई-रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं और 31 जुलाई तक यह संख्या 13 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1.6 लाख ई-रिटर्न प्राप्त हुए थे। इनमें से 1 लाख से अधिक ई-रिटर्न दिल्ली में दाखिल किए गए हैं। इस वर्ष 94 प्रतिशत ई-रिटर्न व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से दाखिल किए गए हैं।

पिछले वर्ष, पूरे भारत में 21.93 लाख से अधिक ई-रिटर्न प्राप्त हुए, जिनमें से 14.6 लाख से अधिक ई-रिटर्न स्वेच्छा से दाखिल किए गए थे। पिछले वर्ष दिल्ली को 2.85 लाख से अधिक ई-रिटर्न प्राप्त हुए, जिनमें से 1.74 लाख से अधिक रिटर्न व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से दाखिल किए गए थे। दिल्ली क्षेत्र में प्राप्त कुल रिटर्न में से ई-रिटर्न की संख्या 10% से अधिक है।

यदि कर का भुगतान बिना ई-भुगतान के बैंक में किया गया हो तो भी रिटर्न की ई-फाइलिंग की जा सकती है। देश भर के दूर-दराज क्षेत्रों जैसे मणिपुर, अंडमान, लक्षद्वीप आदि से ई-रिटर्न प्राप्त हुए हैं, जो देश भर में इंटरनेट और ई-फाइलिंग की व्यापक और दूरगामी पहुंच का संकेत देते हैं।

आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट अत्यधिक सुरक्षित है और करदाता द्वारा दाखिल आयकर विवरणी विवरण वेबसाइट पर नहीं देखा जा सकता।

